

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

शनिवार, तिथि-

02 मार्च, 2024 (ई०)

[पंचदश(बजट)सत्र]

12 फाल्गुन, 1945 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

--:प्रश्नोत्तर:-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

--: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)- श्री वैद्यनाथ राम, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-27-02-24, 28-02-24, 29-02-2024 एवं 01-03-2024 से स्थगित)
- (05)- श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-27-02-24, 28-02-24, 29-02-2024 एवं 01-03-2024 से स्थगित)
- (06)- सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स०, डॉ० इरफान अंसारी, स०वि०स० एवं श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-27-02-24, 28-02-24, 29-02-2024 एवं 01-03-2024 से स्थगित)
- (07)- श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) एवं (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-27-02-24, 28-02-24, 29-02-2024 एवं 01-03-2024 से स्थगित)

क०पृ०उ०.....०२

- (08)- श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-28-02-2024, 29-02-2024 एवं 01-03-2024 से स्थगित)
- (09)-श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि०स० एवं श्री नलिन सोरेन, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-28-02-2024, 29-02-2024 एवं 01-03-2024 से स्थगित)
- (10)- सर्वश्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, रामचन्द्र सिंह एवं श्री सोनाराम सिंक् स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ऊर्जा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-28-02-2024, 29-02-2024 एवं 01-03-2024 से स्थगित)
- (11)- श्री केदार हजरा, स०वि०स० एवं श्री किशुन कुमार दास, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-28-02-2024, 29-02-2024 एवं 01-03-2024 से स्थगित)
- (12)-डॉ० इरफान अंसारी, स०वि०स०, श्री उमाशंकर अकेला, स०वि०स० एवं श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-28-02-2024, 29-02-2024 एवं 01-03-2024 से स्थगित)
- (13)-श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स० एवं श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-29-02-2024 एवं 01-03-2024 से स्थगित)
- (14)- श्री कमलेश कुमार सिंह, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-29-02-2024 एवं 01-03-2024 से स्थगित)
- (15)- श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, स०वि०स०, श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० एवं श्री विकास कुमार मुण्डा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-29-02-2024 एवं 01-03-2024 से स्थगित)
- (16)- श्री अमित कुमार यादव, स०वि०स० एवं श्री राजेश कच्छप, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-29-02-2024 एवं 01-03-2024 से स्थगित)
- (17)-सर्वश्री नारायण दास, समरी लाल, एवं डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-29-02-2024 एवं 01-03-2024 से स्थगित)

-: 03 :-

(18)-श्री आलोक कुमार चौरसिया,स०वि०स० एवं श्री अमित कुमार मण्डल, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (भवन निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:- 01-03-2024 से स्थगित)

(19)- श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,स०वि०स० एवं डॉ० इरफान अंसारी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:- 01-03-2024 से स्थगित)

(20)- सर्वश्री मनीष जायसवाल, जय प्रकाश भाई पटेल एवं श्री केदार हजरा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:- 01-03-2024 से स्थगित)

(21)- सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:- 01-03-2024 से स्थगित)

(22)-डॉ०कुशवाहा शशिभूषण मेहता,स०वि०स० एवं श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्त्रान एवं भूतत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:- 01-03-2024 से स्थगित)

(23)- श्री भूषण तिर्की स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (उद्योग विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(24)- डॉ० नीरा यादव ,श्री केदार हजरा एवं श्री बिरंची नारायण स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (उद्योग विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(25)- श्री अमित कुमार मण्डल स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(26)- श्री नवीन जयसवाल स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(27)- डॉ० लम्बोदर महतो स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

(28)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर रखा जाना :-

- (29)- ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिनियम (1948 का अधिनियम-XIV) के अनुसरण में दामोदर घाटी निगम का वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक बजट प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखा जाना।
- (30)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (31)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: विधायी कार्य :-

“झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (निरसन) विधेयक, 2024”

- (32)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (निरसन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय”।
- (33)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (34)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (निरसन) विधेयक, 2024 पर विचार हो”।
- (35)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (निरसन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो”।

“इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2024”

- (36)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय”।
- (37)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (38)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 पर विचार हो”।
- (39)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 स्वीकृत हो”।

“झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024”

- (40)-वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय”।
- (41)-वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (42)-वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो”।
- (43)-वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो”।

“झारखण्ड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण विधेयक, 2024”

- (44)-विधि विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय”।
- (45)-विधि विभाग के प्रभारी मंत्री, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (46)-विधि विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण विधेयक, 2024 पर विचार हो”।
- (47)-विधि विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण विधेयक, 2024 स्वीकृत हो”।

“झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024”

- (48)-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय”।
- (49)-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (50)-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो”।
- (51)-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो”।

-: गैर-सरकारी संकल्प :-

- (52)- लोकहित के विषयों पर गैर-सरकारी संकल्प।
(संकल्प की सूची अलग से वितरित की जा रही है।)

-: 06 :-

-: प्रश्नों के सम्बन्ध में विवरण :-

- (53)- वर्तमान सत्र में प्राप्त प्रश्नों के विवरण का सभा नेता द्वारा पढ़ा जाना।
(54)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।
(55)- अध्यक्ष का समापन भाषण।

सैयद जावेद हैदर

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०७/२०२४-...../वि०स०, राँची, दिनांक-.....०१/०३/२४.....

प्रतिलिपि:-माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महासचिव लोकसभा, नई दिल्ली/महासचिव राज्य सभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~उत्तर~~
०१/०३/२०२४

(हरेन्द्र कुमार साह)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०७/२०२४-...../वि०स०, राँची, दिनांक-.....०१/०३/२४.....

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को कृपया: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

~~उत्तर~~
०१/०३/२०२४

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०७/२०२४-...../वि०स०, राँची, दिनांक-.....०१/०३/२४.....

प्रतिलिपि:-झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाइट शाखा/पुस्तकालय शाखा, जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~उत्तर~~
०१/०३/२०२४

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

~~उत्तर~~
०१/०३/२०२४